फर्द अहकाम

कल्याण सहाय वगैरह बनाम कजोड़ वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 171/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित। पत्रावली आदेश, के विचारार्थ है। वकील पार्टी बहस को सुना किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रपत्र, पटवारी नायब तहसीलदार की जांच/रिपोर्ट एवं समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली कोरम शुमार होकर नतीजा में दर्ज हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

1/2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं0	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
171 / 2023	06 / 10 / 2023	24 / 06 / 2024

–उनवान–

ल्याण सहाय शर्मा पुत्र स्व0 श्री भूरिया
ारायण सहाय शर्मा पुत्र स्व0 श्री भूरिया
ोमती कस्तुरी धर्मपत्नी स्व0 श्री हरिनारायण
ोमती मोहिनी धर्मपत्नी स्व0 श्री कैलाशचन्द
मस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम सामोर, तहसील आंधी, जिला जयपुर।
ष्णु पुत्र स्व0 श्री कैलाशचन्द आयु 17 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती मोहिनी र्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सामोर तहसील आंधी जिला जयपुर।
कित पुत्र स्व0 श्री कैलाशचन्द आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका एवं माता श्रीमती मोहिनी र्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम सामोर, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

ो कजोड पुत्र श्री प्रभातीलाल
ो राधेश्याम पुत्र प्रभातीलाल
ो कुलदीप पुत्र स्व0 श्री बनवारी
ो नवीन पुत्र स्व0 श्री बनवारी
ोमती सीता देवी पत्नी स्व0 बनवारी
ो तेज्या पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द
ो छाज्या पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द
ो मोहन पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द
ो हनुमान पुत्र स्व0 श्री मूलचन्द
मस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम सामोर, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

। सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि. जरिये शाखा प्रबंधक शाखा जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला यपुर।
ान बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चॉदराणा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
जाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा नाभावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयंपुर।
जस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आंधी, तहसील आंधी, जिला जयपुर।

प्रारूपिक अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

श्री संदीप शर्मा – वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम सामोर, पटवार हल्का डांगरवाडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नीमला, तहसील आंधी , जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 1.73है0, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.04है0, खसरा नम्बर 114 रकबा 1.55है0, खसरा नम्बर 135 रकबा 1.72है0, खसरा नम्बर 235 रकबा 4.27है0, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 35 रकबा 7.20है0, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 38 रकबा 2.02है0 कुल किता 10 कुल रकबा 18.64 है0 भूमि प्रार्थीगणों की स्वतंत्र खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। यह कि ग्राम सामोर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.60है0, खसरा नम्बर 163 रकबा 0.91है0, खसरा नम्बर 173 रकबा 1.02है0, खसरा नम्बर 187 रकबा 0.26है0, खसरा नम्बर 242 रकबा 3.77है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 1.19है0, कुल किता 6 कुल रकबा 7.75है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 लगायत 9 की स्वतंत्र खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा1.73है0 जिसे संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है में आवागमन हेतु अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी

वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हैं प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 9 के नाम अंकित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.0600है0 जिसे संलग्न नजरी नक्शें में हरे रंग से दर्शाया गया है में स्थित कच्चा रास्ता जो कि मुख्य सडक से लगता हुआ है से आवागमन कर रहा है, जिसे संलग्न नजरी नक्शें में नीले रंग से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 100 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 9 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 101 मे से अपने आवागमन हेतु उपयोग उपभोग में लेने हेतु 30 फिट चौडा एवं लगभग 70 मीटर लम्बा मुख्य सडक तक नवीन रास्ता जिसे संलग्न नजरी नक्शें में नीले रंग से दर्शाया गया है। कायम करवा कर उक्त रास्ते को राजस्व भू अभिलेखों में अंकित करवाना चाहते है प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त में अंकित उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रवेश व निकास अर्थात आवागमन का एकमात्र ये ही स्थान है जहॉ से होकर प्रार्थीगण निरन्तर आवाजाही कर रहे है। अतः अप्रार्थी सं0 1 लगायत 9 की खातेदारी में अंकित भूमि खसरा नम्बर 101 में से नजरी नक्शें में नीले रंग से दर्शाये गये स्थान/भू भाग पर विद्यमान कच्चा रास्ता 30 फिट चौडा एवं लगभग 70 मीटर लम्बा मुख्य सडक तक रास्ता कायम कर उक्त रास्ते के रूप मे लम्बाई Xचौडाई में काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण कर अप्रार्थीगण को प्रदान करवाकर नवीन रास्ता कायम कर समस्त राजस्व भू अभिलेखों में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अंकित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 12 अनुपस्थित। दिनांक 31.05.2024 को अप्रार्थीगणों बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी संख्या 13 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/आरटी/2023/70 दिनांक 13.02.2024 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि ग्राम सामौर पटवार हल्का डांगरवाडा, तहसील आंधी में स्थित खसरा नम्बर 100/1.73है0, 113/0.4है0, 114/1.55है0, 135/1.72है0, 235/4.27है0, 33/0.06है0, 34/0.03है0, 35/7.20है0, 37/0.02है0, 38/2.02है0, किता 10 रकबा 18.64है0 प्रार्थी कल्याण पुत्र भूरया वगै0 के खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। ग्राम सामौर में स्थित खसरा नम्बर 101/0.60है0, 163/0.91है0, 173/1.02है0, 187/0.26है0, 242/3.77है0, एवं 99/1.19है0, कुल किता 6 कुल रकबा 7.75है0 कजोड पुत्र प्रभातीलाल वगै0 खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के ग्राम सामौर स्थित खसरा नम्बर 100 रकबा 1.73है0 में आवागमन की समस्या है। अतः प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 100 में आवागमन हेतु ग्राम सामौर स्थित खसरा नम्बर 101 रकबा 0.60है0 में से रास्ता चाहा गया है। जिसे संलग्न नजरी नक्शें में दक्षिण–पूर्व दिशा खसरा नम्बर 100 से स्पर्श करते हुए खसरा नम्बर 121/0.91है0 किस्म गै0मु0रास्ता को स्पर्श करते हुए 52 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई क्षेत्रफल 0.0208है0 को लाल रंग से प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीगण की खातेदारी वर्णित भूमि खसरा नम्बर 100 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

बहस वकील प्रार्थीगण की व पैरोकार सरकार की सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट, पैरोकार सरकार का जवाब/रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंधी को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सामौर, पटवार हल्का डांगरवाडा, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 1.73है0, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.04है0, खसरा नम्बर 114 रकबा 1.55है0, खसरा नम्बर 135 रकबा 1.72है0, खसरा नम्बर 235 रकबा 4.27है0, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.06है0, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 35 रकबा 7.20है0, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 38 रकबा 2.02है0 कुल किता 10 कुल रकबा 18.64 है0 में कृषि कार्य हेतु आने–जाने के लिए रास्ता मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 101 रकबा 0.60है0 में से 52 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई रकबा 0.0208है0 भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक बिला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार राजस्व नक्शें में प्रभावित खसरा में एक तरफ तरमीम करे तथा खसरा नम्बर 101 में से रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि के बदले प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 100 में से रकबा 0.0208है0 भूमि अप्रार्थीगणों के खसरा नम्बर के लगती हुई भूमि में खातेदारी दर्ज की जावें। नक्शा दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित स्थान पर रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। याद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 24.06.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ